



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02042026-271545
CG-DL-E-02042026-271545

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1667]

नई दिल्ली बृहस्पतिवार, अप्रैल 2, 2026/चैत्र 12, 1948

No. 1667]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 2, 2026/CHAITRA 12, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 2026

सं. 03 /2026-27

विषय: आइटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 71 के तहत शामिल मदों की आयात नीति और नीतिगत शर्तों में संशोधन के संबंध में।

का.आ. 1732(अ).— समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनिमयन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 और धारा 5 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा आइटीसी (एचएस) 2022, की अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 71 के तहत तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती है:

2. अध्याय 71 की नीतिगत शर्त सं. 07 निम्नानुसार लागू है:

“निर्यातोन्मुख इकाइयों और विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) में स्थित इकाइयों द्वारा किए गए 100% आयात क्रमशः एफटीपी, 2023 के पैरा 6.01(घ) के अनुसार और विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) नियम, 2006 के नियम 27 के तहत उपर्युक्त प्रतिबंधों के अधीन नहीं होंगे, बशर्ते कि ऐसे आयातित माल घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (डीटीए) में न बेचे जाएं। इसके अतिरिक्त, एफटीपी, 2023 के अध्याय-4 के तहत रत्न और आभूषण के निर्यात की स्कीमों के तहत किए गए आयात भी इन प्रतिबंधों से मुक्त होंगे।”

3. निम्नलिखित आइटीसी एचएस कोड की आयात नीति को निम्नानुसार संशोधित किया गया है:

आइटीसी (एचएस) कोड	मद विवरण	मौजूदा आयात नीति	संशोधित आयात नीति	मौजूदा आयात नीतिगत शर्त	संशोधित आयात नीतिगत शर्त
71090000	मूल धातु या चांदी, सोना चढ़ी हुई, अर्ध-निर्मित से अधिक नहीं।	मुक्त	प्रतिबंधित	-	इस अध्याय की नीतिगत शर्त संख्या 7 के अधीन
7110	प्लैटिनम, अनिर्मित या अर्ध-निर्मित रूपों में, या पाउडर के रूप में।				
711011	- प्लैटिनम:-- अनिर्मित या पाउडर के रूप में				
71101119	--- अनिर्मित: --- अन्य	प्रतिबंधित	मुक्त	-	तथापि, वजन के आधार पर 1 प्रतिशत (1%) से अधिक सोने से युक्त प्लैटिनम मिश्र धातु का आयात प्रतिबंधित है।
71101129	--- पाउडर के रूप में: --- अन्य	प्रतिबंधित	मुक्त	-	तथापि, वजन के आधार पर 1 प्रतिशत (1%) से अधिक सोने से युक्त प्लैटिनम मिश्र धातु का आयात प्रतिबंधित है।
71101990	--- अन्य	प्रतिबंधित	मुक्त	-	तथापि, वजन के आधार पर 1 प्रतिशत (1%) से अधिक सोने से युक्त प्लैटिनम मिश्र धातु का आयात प्रतिबंधित है।
71110000	मूल धातु, चांदी या सोना, प्लैटिनम चढ़ा हुआ, अर्ध-निर्मित से अधिक नहीं	मुक्त	मुक्त	-	तथापि, वजन के आधार पर 1 प्रतिशत (1%) से अधिक चांदी सोने से युक्त मद का आयात प्रतिबंधित है।
7114	सुनारों या चांदी का काम करने वालों के आभूषण और अन्य सामान, जो कीमती धातु के या चढ़ी हुई धातु के				
711411	- कीमती धातु का चाहे कीमती धातु चढ़ी हो या ढकी हो या नहीं:-- चांदी की, चाहे वह कीमती धातु चढ़ी या ढकी हो या नहीं				

71141110	---वस्तुएं	मुक्त	प्रतिबंधित	-	इस अध्याय की नीतिगत शर्त संख्या 7 के अधीन
71141120	---भाग	मुक्त	प्रतिबंधित	-	इस अध्याय की नीतिगत शर्त संख्या 7 के अधीन
711419	- कीमती धातु का चाहे कीमती धातु चढ़ी हो या ढकी हो या नहीं: -- अन्य कीमती धातु चाहे वह अन्य किसी कीमती धातु से चढ़ी हो या ढकी हो या नहीं				
71141910	---सोने की वस्तुएं	प्रतिबंधित	प्रतिबंधित		इस अध्याय की नीतिगत शर्त संख्या 7 के अधीन
71141920	--- प्लैटिनम की वस्तुएं	प्रतिबंधित	प्रतिबंधित	इस अध्याय की नीतिगत शर्त संख्या 6 के अधीन	इस अध्याय की नीतिगत शर्त संख्या 7 के अधीन
71141930	---हिस्से	मुक्त	प्रतिबंधित		इस अध्याय की नीतिगत शर्त संख्या 7 के अधीन
711420	-कीमती धातु से ढकी हुई मूल धातु:				
71142010	--- सोने से ढकी वस्तुएँ	मुक्त	प्रतिबंधित	-	इस अध्याय की नीतिगत शर्त संख्या 7 के अधीन
71142020	--- अन्य वस्तुएँ	मुक्त	प्रतिबंधित	-	इस अध्याय की नीतिगत शर्त संख्या 7 के अधीन
71142030	--- हिस्से	मुक्त	प्रतिबंधित	-	इस अध्याय की नीतिगत शर्त संख्या 7 के अधीन
7115	कीमती धातु की अन्य वस्तुएं या कीमती धातु से ढकी हुई धातु				
71151000	- प्लैटिनम के वायर क्लॉथ या ग्रिल के रूप में कैटालिस्ट	मुक्त	प्रतिबंधित	-	इस अध्याय की नीतिगत शर्त संख्या 7 के अधीन
711590	-अन्य				

71159010	--- कीमती धातुओं से बनी प्रयोगशाला और औद्योगिक वस्तुएं	मुक्त	प्रतिबंधित	-	इस अध्याय की नीतिगत शर्त संख्या 7 के अधीन
71159020	मुख्य रूप से सोने से बने स्पिनरनेट	मुक्त	प्रतिबंधित	-	इस अध्याय की नीतिगत शर्त संख्या 7 के अधीन
71159090	---अन्य	मुक्त	प्रतिबंधित	-	इस अध्याय की नीतिगत शर्त संख्या 7 के अधीन
71181000	- सिक्के (सोने के सिक्के के अलावा), वैध मुद्र न हो	मुक्त	प्रतिबंधित	-	इस अध्याय की नीतिगत शर्त संख्या 7 के अधीन

2. विदेश व्यापार नीति, 2023 (एफटीपी) के पैरा 1.05(ख) या किसी अन्य प्रावधान में निहित होने के बावजूद, संक्रमणकालीन व्यवस्था का लाभ इस अधिसूचना के तहत लगाए गए प्रतिबंधों पर लागू नहीं होगा।

3. उक्त संशोधित आयात नीति तत्काल प्रभाव से और किसी भी पूर्व अनुबंध, अपरिवर्तनीय साख पत्र, अग्रिम भुगतान या शिपमेंट स्थिति के होते हुए भी लागू होगी।

अधिसूचना का प्रभाव: आइटीसी एचएस, 2022 अनुसूची-1 (आयात-नीति) के अध्याय 71 के अंतर्गत शामिल उल्लिखित मदों की आयात नीति और नीतिगत शर्त को तत्काल प्रभाव से उक्त अनुसार संशोधित किया जाता है। ये प्रतिबंध एफटीपी 2023 के पैरा 1.05 (ख) के होते हुए भी लागू होंगे और किसी भी पूर्व अनुबंध, अपरिवर्तनीय साख पत्र, अग्रिम भुगतान, शिपमेंट स्थिति या किसी अन्य प्रतिबद्धता के होते हुए भी लागू होंगे। तदनुसार, संक्रमणकालीन व्यवस्था का लाभ उपलब्ध नहीं होगा।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/89/180/36/एएम-11/पीसी-2(ए)/ई-1678]

लव अग्रवाल, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd April, 2026

No. 03 /2026-27

Subject: Amendment in Import Policy and Policy conditions of items covered under Chapter 71 of ITC (HS) 2022, Schedule-I (Import Policy)-reg.

S.O. 1732(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 and Section 5 of Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2023, as amended from time to time, the Central Government hereby makes the following amendments under Chapter 71 of Schedule-1(Import Policy) of ITC (HS) 2022with immediate effect:

2. Policy Condition no. 07 of the Chapter 71 is introduced as under:

“ Imports by 100% Export Oriented Units and units located in Special Economic Zones (SEZs) shall not be subject to the above restrictions as per Para 6.01(d) of FTP, 2023 and under Rule 27 of the Special Economic Zones (SEZ) Rules, 2006 respectively, provided such imported goods are not sold into the Domestic Tariff Area (DTAs). Further, imports under the schemes for export of Gems and Jewellery under Chapter-4 of FTP, 2023 shall also be exempt from these restrictions.”

3. The Import Policy of the following ITC (HS) codes is amended as under:

ITC(HS) Code	Item description	Existing Import Policy	Revised Import Policy	Existing Import Policy Condition	Revised Import Policy Condition
71090000	Base metals or silver, clad with gold, not further worked than semi-manufactured.	Free	Restricted	-	Subject to Policy Condition No. 7 of this Chapter.
7110	Platinum, unwrought or in semi-manufactured forms, or in powder form.				
711011	- Platinum : -- Unwrought or in powder form				
71101119	--- Unwrought form: --- Other	Restricted	Free	-	However, import of Platinum alloy consisting of gold more than 1 percent (1%) by weight is Restricted.
71101129	--- In powder form: --- other	Restricted	Free	-	However, import of Platinum alloy consisting of gold more than 1 percent (1%) by weight is Restricted.
71101990	--- Other	Restricted	Free	-	However, import of Platinum alloy consisting of gold more than 1 percent (1%) by weight is Restricted.
71110000	Base metals, silver or gold, clad with platinum, not further worked than semi-manufactured	Free	Free	-	However, import of item with Silver or Gold more than 1% by weight is "Restricted".
7114	Articles of goldsmiths or silversmiths wares and parts thereof, of precious metal or of metal clad with				
711411	- Of precious metal whether or not plated or clad with precious metal : - - Of silver, whether or not plated or clad with other precious metals				
71141110	--- Articles	Free	Restricted	-	Subject to Policy Condition No. 7 of this Chapter.
71141120	--- Parts	Free	Restricted	-	Subject to Policy Condition No. 7 of this Chapter.
711419	-Of precious metal whether or not plated or clad with precious metal : -- Of other precious metal, whether or not plated or clad with precious metals				
71141910	--- Articles of gold	Restricted	Restricted		Subject to Policy Condition No. 7 of this Chapter.

71141920	--- Articles of platinum	Restricted	Restricted	Subject to Policy Condition No. 6 of this Chapter.	Subject to Policy Condition No. 7 of this Chapter.
71141930	--- Parts	Free	Restricted		Subject to Policy Condition No. 7 of this Chapter.
711420	-Of base metal clad with precious metal :				
71142010	--- Articles clad with gold	Free	Restricted	-	Subject to Policy Condition No. 7 of this Chapter.
71142020	--- Other articles	Free	Restricted	-	Subject to Policy Condition No. 7 of this Chapter.
71142030	--- Parts	Free	Restricted	-	Subject to Policy Condition No. 7 of this Chapter.
7115	Other articles of precious metal or of metal clad with precious metal				
71151000	-Catalysts in the form Of wire cloth or grill, of Platinum	Free	Restricted	-	Subject to Policy Condition No. 7 of this Chapter.
711590	-Other				
71159010	--- Laboratory and industrial articles of precious metals	Free	Restricted	-	Subject to Policy Condition No. 7 of this Chapter.
71159020	--- Spinnerets made mainly of gold	Free	Restricted	-	Subject to Policy Condition No. 7 of this Chapter.
71159090	--- Other	Free	Restricted	-	Subject to Policy Condition No. 7 of this Chapter.
71181000	-Coin (Other than gold Coin), not being legal tender	Free	Restricted	-	Subject to Policy Condition No. 7 of this Chapter.

2. Notwithstanding anything contained in Para 1.05(b) of the Foreign Trade Policy, 2023, (FTP) or any other provision, **the benefit of transitional arrangements shall not apply to the restrictions imposed under this Notification.**

3. The import policy as amended above shall come into force with immediate effect and shall apply **irrespective of any prior contract, irrevocable letter of credit, advance payment, or shipment status.**

Effect of the Notification: The Import Policy and Policy Condition of items as mentioned above covered under Chapter 71 of ITC HS, 2022, Schedule-I (Import Policy) is revised as mentioned above with immediate effect. **These restrictions shall apply notwithstanding Para 1.05(b) of FTP 2023 and shall operate irrespective of any prior contract, irrevocable letter of credit, advance payment, shipment status, or any other commitment whatsoever. Accordingly, the benefit of transitional arrangements shall not be available.**

This is issued with the approval of the Minister of Commerce & Industry.

[F. No. 01/89/180/36/AM-11/PC-2[A]/E-1678]

LAV AGARWAL, Director General of Foreign Trade & Ex-officio Addl. Secy.